proposal at present to establish an Energy Commission.

(b) and (c) In view of the above, the question does not arise.

Seminar co-sponsored by Department of Power

3791. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a two day seminar co-sponsored by Department of Power was held in Delhi last month;

(b) if so, the points raised at the point raised at the seminar; and

(c) decisions Government propose to take on the point raised at the seminar?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALF-NATH RAI): (a) to (c) An Indo-US Seminar on "New Opportunities for Private Investments in the Indian Power Sector" organised by the Indo-Americon Chambers of Commerce and US Government organisations in India and co-sponsored by the Department of Power was held on 16-17 June, 1992.

The Major topics discussed were:

1. Indian Power Scenario and fuel supply arrangement.
2. Private Power Development in India: Issues and Opportunities.
3. Financing for private power projects.
4. Private Power Development: US Experience.
5. Prospects for Indo-US Joint Ventures in the power sector.

The deliberations at the seminar were oriented towards increasing awareness of the policy to encourage private sector investment in generation and distribution of electricity. Many participants of the Seminar have come up with proposals to put up powrer projects in India.

विद्युत मंत्रालय के अधीन संपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार

3792. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार की सूचनायें मिली हैं ;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्य-वाही की गई है तथा कितने अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में केवल स्थानां-तरण की सजा दी गई है और ;

(घ) भ्रष्ट और कदाचारी अधि-कारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सी.बी.आई. ने विद्युत वित्त निगम के तीन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध हाल ही में एक मामला दर्ज किया है । विगत के तीन वर्षों के दौरान सामान्य सतर्कता क्रियाकलापों के रूप में 46 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही की गई है जिनमें से एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था ।

(ग) नियमों के अनुसार स्थानांतरण को सजा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

(घ) उपचारात्मक उपायों के अलावा सम्बन्धित नियमों के अधीन कड़ी कार्रवाई की जाती है ।